

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)
दाखिक अपील क्र.-150/16
प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-21.08.2015

1. संजय बाल्मिक पुत्र सरमन बाल्मिक आयु 25
वर्ष निवासी ग्राम लहचूरा थाना मालनपुर जिला
भिण्ड म0प्र0**अपीलार्थी/अभियुक्त**
बनाम
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

.....**प्रत्यर्थी**

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता।

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 30.11.17 को घोषित)

1. यह अपील न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 183/2011 उनवान म0प्र0 राज्य बनाम संजय बाल्मिक में द घोषित निर्णय दिनांक 22.07.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा-323 के तहत दोषसिद्ध करते हुए तीन माह के कारावास एवं 5,00/-रुपए के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताए जाने के दण्ड से दण्डित किया है।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 30.09.11 को फरियादी रामौतार दिन में फैक्ट्री एरिया से लकड़ी काटकर अपनी सायकल पर रखकर अपने घर जा रहा था, जैसे ही वह अभियुक्त संजय के घर के सामने पहुंचा था तो रास्ते में संजय की बाल्टी रखी थी, उसने संजय से बाल्टी रास्ते से हटाने के लिए कहा था तो उसे मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देने लगा जब उसने गाली देने से मना किया था तो संजय अपने घर से लुहांगी लाठी लेकर आया था और उसकी पीठ में लाठी मार दी थी जिससे उसके मुदी चोट आई थी। संजय ने दूसरी लाठी उसके सिर में एवं तीसरी लाठी उसकी पीठ में दाहिने तरफ मारी थी, जिससे उसके चोटे आई थीं। मौके पर उसकी भाभी अनीता एवं उसके पिता आ गए थे। जिन्होंने उसे बचाया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मालनपुर पर प्र0पी0-02 के रूप में की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक

- 161/11 अंतर्गत धारा-324, 323 एवं 294 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। फरियादी रामौतार को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-01 है।
3. दौराने अनुसंधान उसी दिन घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-03 बनाया गया। फरियादी रामौतार साक्षी अनारीलाल, श्रीमती अनीता के उसी दिनांक को कथन लिए गए। अभियुक्त संजय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त के आधिपत्य से एक बांस की लाठी लोहांगी जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। बाद अनुसंधान धारा-323, 294 एवं 324 भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पाते हुए अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
 4. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पर भा0दं0सं0 की धारा-294, 323 एवं 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया, जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्त को भां0दं0सं0 की धारा-294 एवं 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया। परंतु भां0दं0सं0 की धारा-323 के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया है। उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
 5. अपील मेमो एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि फरियादी रामौतार अ0सा0-04 ने यह स्पष्ट नहीं बताया है कि झगड़ा किस स्थान पर हुआ एवं झगड़े के समय संजय मौजूद था। अनीता अ0सा0-01 तथा अनारीलाल अ0सा0-02 ने घटना को नहीं देखा है। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-03 ने फरियादी द्वारा बताई गई चोटों का समर्थन नहीं किया है। रामौतार अ0सा0-04 घटना 12:00 बजे की बताता है और उसकी पत्नी 01:00 बजे की घटना बताती है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। साक्ष्य सही ढंग से विवेचन न करते हुए मनमाने तौर से कयास निकालते हुए निर्णय एवं दण्डाज्ञा पारित की है जो कि विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य निर्णय दिनांक 22.07.15 को अपास्त करते हुए, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने तथा अर्थदण्ड की राशि वापस दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।
 6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।
 7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार हैं:-

“क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि तथा दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है ?”

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

8. विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय के पैरा-17 में यह मान्य किया है कि फरियादी के कथन को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि उसके कथन की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय के पैरा-10 एवं 12 में यह निष्कर्ष दिया है कि घटना दिनांक को फरियादी रामौतार की शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति साधारण थी। चोट के संबंध में रामौतार की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी0-01 में सिर एवं बाएं कान के नीचे फटे हुए घाव होने का उल्लेख होना मानते हुए, उसे तात्विक विसंगति नहीं माना है। रंजिश के संबंध में यह निष्कर्ष दिया है कि रंजिश के कारण ही अभियुक्त के द्वारा फरियादी की मारपीट की जा सकती है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पैरा-31 में यह निष्कर्ष दिया है कि अभियोजन संजय के द्वारा फरियादी रामौतार की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने से तथ्य युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।
9. उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर विचार किया गया। फरियादी रामअवतार अ0सा0-04 ने यह बताया है कि घटना साक्ष्य देने की दिनांक 21.03.14 से लगभग दो तीन साल पहले की है। संजय ने उसे लोहांगी लाठी से मारा था जो पीठ में सिर में एवं पसली में लगी थी। झगड़े के समय उसके पिता अनारीलाल एवं उसकी भाभी अनीता आ गई थी, जिन्होंने बीच बचाव कराया था। उसके बाद वह थाना मालनपुर रिपोर्ट करने गया था, जो प्र0पी0-02 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-03 बनाया था।
10. होमसिंह अ0सा0-05 ने दिनांक 30.09.11 को रामअवतार के द्वारा प्र0पी0-02 की रिपोर्ट लिखवाया जाना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-02 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें यह तथ्य है कि संजय अपने घर से लोहांगी लाठी लेकर आया और फरियादी रामअवतार के मारी जो उसकी पीठ में बाईं ओर लगी, मुंदी चोट आई, दूसरी लाठी मारी जो उसके सिर में लगी, खून निकल आया तथा एक लाठी ओर मारी जो रामअवतार के दाहिनी तरफ पीठ में लगी मुंदी चोट आई, तभी भाभी अनीता और उसके पिताजी आ गए और उन्होंने बचाया।
11. डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0-03 ने दिनांक 30.09.11 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए, रामअवतार का मेडीकल परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाया जाना बताया है:-
 1. सर में फटा हुआ घाव 03x0.3x0.2 से.मी. आकार का था से खून नहीं बह रहा था।
 2. बाएं कान में नीचे के भाग में फटा हुआ घाव 0.8x0.2x0.2

- सेमी. आकार का था, घाव से खून नहीं बह रहा था।
3. बाएं बखा के नीचे 07x1.5 नील का निशान था।
 4. दाएं बखा में 3.5x1.3 सेमी. का नील का निशान था।
12. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-03 ने उक्त चोटों को साधारण प्रकृति की होकर 12 घंटे के भीतर की होना तथा कडी एवं मौहथीर वस्तु से आना संभावित होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर आहत की पीठ में कोई चोट नहीं आना बताया है। परंतु चोट क्रमांक 03 एवं 04 बाएं बखे पर एवं दाएं बखे पर नील के निशान के रूप में है। स्पष्ट है कि दायां बखा एवं बायां बखा व्यक्ति की पीठ पर ही होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 में दाईं एवं बाईं पीठ पर लाठी मारना बताया गया है। रामअवतार अ०सा०-04 ने अपनी साक्ष्य में भी पीठ में चोट होना बताया है, जिससे कि अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भली भांति हो रही है। चोट क्रमांक 01 सिर में फटा हुआ घाव है। रामअवतार अ०सा०-04 ने सिर में भी लाठी मारना बताया है। इस प्रकार सिर के घाव की भी पुष्टि अभियोजन साक्ष्य से हो रही है।
13. बचाव पक्ष की ओर से चोट क्रमांक 02 के संबंध में यह आधार लिया है कि उक्त चोट के बारे में रामअवतार ने नहीं बताया है। परंतु प्र०पी०-01 की एम.एल.सी. का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके चोट क्रमांक 02 भी पाई गई है, जो की बाएं कान के नीचे फटे हुए घाव के रूप में है। जहां कि एक व्यक्ति की लाठी से मारपीट की गई हो, तो लगभग तीन वर्ष के बाद यह प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है कि वह व्यक्ति एक-एक चोट के बारे में विशिष्ट रूप से बता सके। विशिष्ट रूप से न बताना ही मामले की स्वाभाविकता को दर्शाता है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कतई त्रुटिपूर्ण नहीं है कि उक्त विसंगति इतनी तात्विक नहीं है कि जिससे कि फरियादी की साक्ष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
14. अनीता अ०सा०-01 एवं अनारीलाल अ०सा०-02 ने झगड़ा अपने सामने होना तथा संजय के द्वारा रामअवतार की लाठी से मारपीट करना बताया है। परंतु अनीता अ०सा०-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-02 में यह स्वीकार किया है कि जब वह घर से आई थी, तब अभियुक्त संजय लाठी लिए हुए खड़ा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 के अनुसार भी अनीता एवं अनारी लाल मारपीट के पश्चात पहुंचे हैं। अतः ऐसी स्थिति में यह कतई मान्य नहीं किया जा सकता कि मारपीट उनके सामने हुई है। अपितु उनकी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मारपीट हो चुकने के बाद वे स्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने संजय को लाठी लिए हुए देखा है। इससे भी घटना के होने की पुष्टि होती है।
15. जहां तक कि रंजिश का प्रश्न है, इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि रंजिश के कारण ही संजय ने मारपीट की हो। परंतु इस मामले में बाल्टी को हटाने पर से विवाद होना प्रकट है, पुरानी कोई रंजिश होकर रंजिशान झूठा फंसाने का मामला प्रकट नहीं होता है। मारपीट का कारण भी बाल्टी हटाने

पर से विवाद होना प्रकट है। जहां तक कि विवेचना अधिकारी की साक्ष्य न होने का प्रश्न है, फरियादी की साक्ष्य से अभियोजन घटना प्रमाणित हो रही है तब ऐसी स्थिति में विवेचना अधिकारी की साक्ष्य की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं होती। इस मामले में अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य भली भांति हो रही है, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 से हो रही है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है।

16. यह मानवीय संव्यवहार के साधारण अनुक्रम में अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी कारण के झूठा फंसाएगा। इस मामले में झूठा फंसाए जाने का कोई भी कारण प्रकट नहीं हुआ है। यहां तक कि अभियुक्त संजय का परीक्षण किए जाने पर वह यह नहीं बता सका है कि साक्षी उसके विरुद्ध क्यों बोलते हैं। उसने इस प्रश्न का उत्तर "पता नहीं" के रूप में दिया है। जिससे कि स्पष्ट है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि उसके द्वारा फरियादी रामअवतार की मारपीट की गई थी, जिसके कारण यह प्रकरण चला है इस प्रकार अभियुक्त अपने विरुद्ध तथ्यों को युक्ति युक्त स्पष्टीकरण नहीं दे सका है। उपलब्ध समस्त सामग्री के आधार पर यह प्रकट नहीं होता है कि मामले में कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो।
17. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-31 में यह निष्कर्ष देकर वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है कि अभियोजन अभियुक्त संजय के विरुद्ध यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त संजय ने दिनांक 30.09.11 को फरियादी रामअवतार की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
18. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त संजय को फरियादी रामअवतार को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराकर वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि वैधानिक त्रुटि से ग्रसित नहीं होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है।
19. अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अभिभाषक के द्वारा अपीलार्थी को परीवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी संजय की आयु घटना के समय 20 वर्ष की रही है। सिर पर लाठी से बार किया गया है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी को परीवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः परीवीक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया।
20. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में उभयपक्ष को सुना गया। घटना दिनांक 30.09.11 की है अर्थात् घटना को हुए छः दो माह से अधिक समय हो चुका है। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में इस प्रकरण का सामना किया है तथा विचारण में सहयोग किया है। पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं लाई गई है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए तथा अपराध की

प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए इतनी लंबी अवधि के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा-323 भा0दं0सं0 के इस अपराध के लिए कारावास के लिए भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

21. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त संजय के धारा-323 भा0दं0सं0 के तहत तीन माह के कठिन कारावास के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अर्थदण्ड बढ़ाए जाने से ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।
22. फलस्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तीन माह के कठिन कारावास के स्थान पर अपीलार्थी/अभियुक्त संजय को धारा-323 भा0दं0सं0 के तहत 2,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
23. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा 500/- रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है। उपरोक्तानुसार अभियुक्त/अपीलार्थी संजय अर्थदण्ड की बढ़ी हुई राशि 1,500/-रुपए अर्थदण्ड के रूप में और जमा करावे।
24. अर्थदण्ड की कुल राशि 2,000/-रुपए फरियादी आहत फरियादी रामअवतार पुत्र अनारी लाल बल्मीकी निवासी ग्राम लहचूरा का पुरा अंतर्गत थाना मालनपुर, गोहद, जिला भिण्ड को रिबीजन की अवधि पश्चात प्रदान की जावे।
25. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण विचारण न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे। पुनरीक्षण होने पर माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के अनुसार निराकरण किया जावे।
26. अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।
27. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित ।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)